भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 2243

उत्तर देने की तारीख : 12.02.2026

असम में महिला नेतृत्व वाले सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए ऋणप्राप्ति में चुनौतियां

2243. श्री गौरव गोगोईः

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि स्टैंड-अप इंडिया और सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई) जैसी योजनाओं के बावजूद असम में महिला नेतृत्व वाले सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को संस्थागत ऋण प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान, स्टैंड-अप इंडिया, सीजीटीएमएसई और इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम (ईसीएलजीएस) सहित प्रमुख एमएसएमई ऋण योजनाओं के तहत असम में महिला उद्यमियों को संवितरित किए गए ऋणों की वर्ष-वार संख्या और प्रतिशत कितना है;

(ग) क्या सरकार ने असम में एमएसएमई हेतु संवितरित किए गए कुल ऋण में से महिला नेतृत्व वाले उद्यमों को कम हिस्सा मिलने के कारणों की जांच की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) असम में, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों और टियर-II और टियर-III शहरों में, महिला उद्यमियों के लिए औपचारिक ऋण तक पहुंच में सुधार के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) क्या महिला नेतृत्व वाले एमएसएमई हेतु ऋणप्रवाह बढ़ाने के लिए असम में कोई महिला-हितैषी ऋण या निगरानी तंत्र प्रस्तावित किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क) से (ङ) : असम सहित देश भर में महिला-नेतृत्व वाले सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) सहित ऋण तक पहुंच को सुदृढ़ करने के लिए, भारत सरकार ने कई कदम उठाए हैं, जिनमें अन्यों के साथ-साथ शामिल हैं:

i. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय सूक्ष्म और लघु उद्यमों को दिए गए ऋणों के लिए क्रेडिट गारंटी प्रदान करने हेतु सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई) के माध्यम से सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) हेतु क्रेडिट गारंटी योजना (सीजीएस) लागू करता है। स्कीम के तहत गारंटी कवरेज की सीमा 10 करोड़ रुपए है। योजना के तहत महिला उद्यमियों की सहायता करने के लिए, वार्षिक गारंटी शुल्क में 10% की छूट दी जाती है; अन्य उद्यमियों के लिए 75% गारंटी कवरेज की तुलना में महिला स्वामित्व वाले एमएसई को 90% गारंटी कवरेज दिया जाता है।

ii. नए सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के लिए प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम गैर-कृषि क्षेत्र में विनिर्माण के लिए 50 लाख रुपए और सेवा उद्यमों के लिए 20 लाख रुपए की परियोजना लागत के साथ महिला-नेतृत्व वाले सूक्ष्म उद्यमों के लिए 35% तक मार्जिन मनी सब्सिडी प्रदान करता है।

iii. पीएम विश्वकर्मा स्कीम की शुरुआत दिनांक 17.09.2023 को अपने हाथों और औजारों से काम करने वाले 18 पारंपरिक व्यवसायों के कारीगरों और शिल्पकारों को सम्पूर्ण सहायता प्रदान करने हेतु की गई थी। इस योजना में अधिकतम 8 प्रतिशत ब्याज छूट के साथ 3 लाख रुपए तक के ऋण का प्रावधान शामिल है।

iv. कोविड-19 महामारी के कारण व्यवधान के मद्देनज़र व्यावसायिक उद्यमों को अपनी कार्य प्रचालन संबंधी देयताओं को पूरा करने में सहायता प्रदान करने के लिए मई, 2020 में आकस्मिक क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) शुरू की गई थी। यह योजना दिनांक 31.03.2023 तक चालू रही। वित्तीय सेवाएं विभाग (डीएफएस) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, ईसीएलजीएस के तहत, शुरुआत से दिनांक 31.03.2023 तक, महिला-नेतृत्व वाले एमएसएमई सहित 2.42 लाख करोड़ रुपए तक की कुल 1.13 करोड़ गारंटियां प्रदान की गई हैं।

v. वित्तीय सेवाएं विभाग (डीएफएस) द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, स्टैंडअप इंडिया को अप्रैल, 2016 में विनिर्माण, सेवाओं और व्यापार क्षेत्र में ग्रीनफील्ड उद्यम स्थापित करने के लिए और कृषि से संबद्ध गतिविधियों के लिए प्रति बैंक शाखा कम से कम एक अनुसूचित जाति (एससी) या अनुसूचित जनजाति (एसटी) और एक महिला उधारकर्ता को 10 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए तक का ऋण प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। इस योजना ने 2.75 लाख ऋणों की सुविधा प्रदान की, जिनमें से 83% महिलाओं उद्यमियों द्वारा लिए गए थे। यह योजना दिनांक 31.03.2025 तक चालू रही।

इन प्रमुख योजनाओं के तहत लाभों का विवरण अनुबंध-I में है।

*****

अनुबंध-I

"असम में महिला नेतृत्व वाले सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए ऋणप्राप्ति में चुनौतियां" पर लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 2243, जिसका उत्तर दिनांक 12.02.2026 को दिया जाना है, के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

सीजीटीएमएसई - असम राज्य में अनुमोदित गारंटी						
	असम में महिला उद्यमी %		असम में महिला उद्यमी		महिला उद्यमी (अखिल भारत)	
वित्त वर्ष	अनुमोदित गारंटियों की संख्या का %	अनुमोदित गारंटी की राशि का %	अनुमोदित गारंटियों की संख्या	अनुमोदित गारंटी की राशि करोड़ रुपए में	अनुमोदित गारंटियों की संख्या	अनुमोदित गारंटी की राशि करोड़ रुपए में
2022-23	1.1%	1.9%	3,936	315	365,582	16,373
2023-24	1.5%	1.7%	6,313	544	425,865	32,223
2024-25	3.0%	1.9%	18,667	919	626,546	47,969

असम राज्य में पीएमईजीपी के तहत सहायता प्राप्त महिला नेतृत्व वाले सूक्ष्म उद्यम			
वित्त वर्ष	सहायता प्राप्त सूक्ष्म उद्यमों की संख्या	संवितरित एमएम सब्सिडी (करोड़ रुपए में)	अनुमानित सृजित रोजगार
2022-23	907	19.51	7,256
2023-24	761	19.26	6,088
2024-25	1,081	32.18	8,648

पीएम विश्वकर्मा- स्वीकृत ऋण (असम राज्य)				
वित्त वर्ष	स्वीकृत ऋणों की कुल संख्या	स्वीकृत राशि (रुपए में)	स्वीकृत ऋणों की कुल संख्या- महिलाएं	स्वीकृत राशि (रुपए में)- महिलाएं
2024-25	12,024	1,124,894,999	3,509	327,940,200
प्रतिशत			**29.18%**	**29.15%**

स्टैंडअप इंडिया (असम)			
वित्त वर्ष	कुल (संवितरित खातों की संख्या)	महिलाएं (संवितरित खातों की संख्या))	प्रतिशत (महिलाएं)
2022-23	201	160	80%
2323-24	214	118	55%
2024-25	487	344	71%